


महोदयलाल वेदप्रिय वनाम वनवासी व वन्य

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	वाद सं. 33/2020 आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	04/04/22	की गई है एवं गत निर्णय वादीय पक्षियों से अनुपस्थित भी है। अतः पगावली वाले उचित आग्रह आदेश दिनांक 26/04/22 को पेश है।	
	26/04/22	<p align="right">सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</p> पगावली पेश हुई। उमदपुत्र कारण मय अधिवक्तागण अनुपस्थित। आदेश दिनांक 18/10/21 की पालनाय लाफ़्फ़वाडी भी प्रस्तुत नहीं की गई है। तब गत करीब से उमदपुत्रकारण मय अधिवक्तागण निर्णय अनुपस्थित है। अतः पगावली वाले उचित आग्रह आदेश दिनांक 12/05/22 को पेश है।	
	12/05/22	<p align="right">सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर मुख्यालय-जयपुर</p> पगावली पेश हुई। उमदपुत्रकारण मय अधिवक्तागण अनुपस्थित। वादीगण व वादीगण अधिवक्ता को शाम 5:00 बजे एक बार आपाज लगवाई गई। बार बार आपाज लावाने के उपरान्त भी वादीगण व वादीगण अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं हुए। पगावली का अवलोकन किया गया। पगावली आदेश दिनांक 18/10/21 के क्रम में लाफ़्फ़वाडी हेतु निर्णय है। तब से उम में आज दिनांक तक भी लाफ़्फ़वाडी प्रस्तुत नहीं की गई है। तथा गत करीब वादीय पक्षियों से निर्णय अनुपस्थित है। आज भी अनुपस्थित है। तब से यह स्पष्ट होना है कि वादीगण स्वयं अप वाद के प्रति रूचिक नही है तथा स्वयं के ही प्रस्ताव प्रकरण में अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई एवं निर्णय वादीय पक्षियों से अनुपस्थित है। अतः वाद वादीगण प्रथम दायरी क्रम पत्रकी में उपरान्त किया जाय तो पगावली पूर्वोक्त शुभानु हैकर तब प्रस्ताव से पेश है।	

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर